न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 168 / 2022

1. राकेश पिता राधेश्यामजी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. मु. चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नी रमेश जी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पिता श्री मांगीलाल जी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. कपिल पिता राधेश्यामजी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. गंगाबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नि रामेश्वर जी शर्मा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज.।
4. केसरबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नि बबलु शर्मा उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर राज.।
5. इन्द्राबाई पुत्री राधेश्याम पत्नी विनोद जी शर्मा उम्र वयस्क निवासी सालेडा तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज.।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. निम्बाहेड़ा राज.।
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेड़ा राज.
8. श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी मुसलमान निवासी गोदाला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ता :– श्री शम्भुलाल तेली
प्रतिवादीगण अधिवक्ता–श्री इन्दरमल भांबी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53,88,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :– निर्णय तिथि :– 31.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–162 वाके ग्राम बरड़ा, पटवार हल्का, बरडा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाद पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री राधेश्याम पिता मांगीलाल गुरू सा. गादोला खातेदार	52	0.11
	566 / 69	0.33
	568 / 194	0.68
	71	0.02
कुल योग	3	1.14 हैक्टेयर

2. यह कि वादग्रस्त आराजियात वादी के दादा जी मांगीलाल के समय की है जो प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम पिता मांगीलाल को उनके पिता की विरासत से मिली हुई आराजियात है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम वादीगण के पिता है, जिनके दो पुत्र क्रमशः वादी नं. 1 राकेश एवं प्रतिवादी नम्बर 2 कपिल एवं चार पुत्रियां वादी नं. 2 चन्दाबाई, प्रतिवादी नम्बर 3 गंगाबाई, प्रतिवादी नम्बर 4 केसरबाई, प्रतिवादी नं. 5 इन्द्राबाई है। जिनके प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा निहित है, जिसकी खातेदारी घोषणा की जाना आवश्यक है व इसी अनुसार बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। वाद में वर्णित आराजियात पुश्तेनी होने से उसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुसार खातेदारी में अंकन करवाया जावे एवं आराजियात का मौके पर विधिवत बंटवारा कराया जाकर अलग–अलग करवाया जाकर रकबा व लगान का विभाजन कराया जाकर इसी अनुसार मौके पर काबिज रखाया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उमयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की और से आपसी राजीनामा व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की और से इकबाली जवाब दावा पेश किया जिसमें वर्णित सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार किया एवं वादग्रस्त आराजियात में वादीगण राकेश पिता राधेश्याम 1/7 , चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम 1/7 एवं प्रतिवादीगण राधेश्याम पिता मांगीलाल 1/7, कपिल पिता राधेश्याम 1/7, गंगाबाई पिता राधेश्याम 1/7, केसरबाई पिता राधेश्याम 1/7, इन्द्राबाई पिता राधेश्याम 1/7 हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार रखाया जाकर, इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात का हक हिस्से अनुसार नपती करवाई जाकर, बटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज किया जाकर लगान की फाटनी करने का निवेदन किया गया। वादीगण का वाद राजीनामे अनुसार घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में जमावंदी सम्वत् 2077–2080 के वाके मौजा बरड़ा पटवार हल्का बरड़ा तहसील, निम्बाहेड़ा कि खाता संख्या–162 की आराजी नम्बर 52 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 566/69 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर हैं। राधेश्याम पिता मांगीलाल शर्मा जाति गुरू के विरासत से प्राप्त राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि है जिसे वादीगण राक[illegible] राधेश्याम 1/7, चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम 1/7 एवं प्रतिवादीगण राधेश्या[illegible]गीलाल 1/7, कपिल पिता राधेश्याम 1/7, गंगाबाई [illegible] राधेश्याम 1/[illegible]सरबाई पिता राधेश्याम 1/7, इन्द्राबाई पिता राधेश्याम 1[illegible] उचित प्रतीत होने से न्यायालय हाजा ने निर्णय दि[illegible]रोक्त आराजियात आराजी नम्बर 52 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 566/69 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर में वादीगण राकेश पिता राधेश्याम 1/7, चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम 1/7 एवं प्रतिवादीगण राधेश्याम पिता मांगीलाल 1/7, कपिल पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

राधेश्याम 1/7, गंगाबाई पिता राधेश्याम 1/7, केसरबाई पिता राधेश्याम 1/7, इन्द्राबाई पिता राधेश्याम 1/7 के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की गई।

5. उक्त आदेश के निर्णित होने के पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 द्वारा दिनांक 23.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि " यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर मोजा बरडा की सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति गुरू उर्फ गर्ग निवासी गादोला तहसील, निम्बाहेडा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित आराजी में हम प्रतिवादी संख्या 1 से 5 सभी का 1/7–1/7 हक हिस्सा निहित है, माननीय न्यायालय आप द्वारा उक्त प्रकरण में डिक्री जारी कर वादीगण प्रतिवादीगण सभी का 1/7–1/7 हक हिस्सा किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर मोजा बरडा की सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति गुरू निवासी गादोला द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी निवासी गादोला को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है, जिसमें हम सभी प्रतिवादीगण 2 से 4 सहमत है। आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर मोजा बरडा में हम प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/7–1/7 हक हिस्सा क्रेता समीम बानो पत्नि सलीम गोरी निवासी गादोला के नाम खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित होगा। शेष आराजियात जो वादीगण के हक हिस्से की है को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि मोजा बरडा की आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर में हम प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण 1/7–1/7 हक हिस्सा दिनांक 05.08.2022 को विक्रय द्वारा समीम बानो के नाम घोषित किये जाने की संशोधित डिक्री जारी कर क्रेता के नाम खातेदारी में घोषित किये जाने की संशोधित डिक्री जारी किये जाने की कृपा करावें।

6. इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 द्वारा अनापत्ति पेश की और उनका हिस्सा क्रेता श्रीमती समीम बानो के पक्ष में कर देने हेतु निवेदन कर संशोधित डिक्री जारी करने का निवेदन किये जाने से उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा गया। श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी जाति मुसलमान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश की इसमें उसने बताया कि " यह कि उपरोक्त उनवानित प्रकरण को दिनांक 23.05.2023 को आप न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया है। वादी ने आप न्यायालय में तथ्यों को छिवाकर वाद प्रस्तुत किया था। वाद पत्र में वर्णित आराजी में से आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर वाके मोजा बरडा की आराजी प्रार्थिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 05.08.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी। विक्रय दिनांक 05.08.2022 से ही उक्त आराजी पर मुझ प्रार्थिया का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति गुरू के नाम पर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व व अधिपत्य में थी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर वाके मोजा बरडा दिनांक 05.08.2022 को 5,30,000/– अक्षरे पांच लाख तीस हजार रूपये नकद देकर क्रय की थी। इसलिए प्रार्थिया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थिया को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि उक्त प्रकरण में प्रार्थि[illegible] न्याय मिल सके। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] को पक्षकार बनाये जाने का आदेश देने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति पेश की गई, अतः समीम बानो पत्नि सलीम गोरी को पक्षकार बनाया गया। वादी [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि " उपरोक्त प्रकरण के विषय में हम प्रार्थीगण राकेश पिता राधेश्याम, चन्दा पिता राधेश्याम शर्मा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेडा का निवेदन निम्न प्रकार है : यह कि हम प्रार्थीगणों द्वारा माननीय न्यायालय में उपरोक्त अनवान प्रकरण बाबत बंटवारा एवं उद्घोषणा जिसमें उभय पक्षकारों का 1–7–1/7 हक हिस्सा बनता है जिसमें विपक्षीगण का संयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा

क्रेता समीम बानो के नाम करने पर हम वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि हम प्रार्थीगण के पिता द्वारा वाद से पूर्व ही आराजी नम्बर 568/194 मोजा बरडा में स्थित कृषि भूमि रकबा 0.68 हैक्टेयर विक्रय की थी। यह कि उक्त विक्रित कृषि भूमि का 5/7 हक हिस्सा जो प्रतिवादीगण के हिस्से में आता है को विक्रेता के नाम एवं हम प्रार्थीगणों का संयुक्त रूप से 2/7 हक हिस्सा हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने पर हम उभय पक्षकरों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

8. इसी क्रम में क्रेता श्रीमती समीम बानो ने भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि " यह कि मुझ क्रेता द्वारा ग्राम बरडा की खाता संख्या 239 खसरा संख्या 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर क्रय की थी। किन्तु उक्त आराजी पैतृक होने से विक्रेता को 1/7 हक हिस्सा ही विक्रय करने का अधिकार था। विक्रेता ने सम्पूर्ण आराजी की रजिस्ट्री से वादी राकेश एवं चन्दा पिता राधेश्याम शर्मा ने बंटवारे का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को 1/7–1/7 कुलिया 2/7 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा मुझ सदभावी क्रेता के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया जाये तो मुझ क्रेता समीम बानो को कोई आपत्ति नहीं क्योंकि विक्रय प्रतिफल शेष बकाया होने से मैं 5/7 हक हिस्से का ही प्रतिफल अदा कर दूंगी। अतः श्रीमान से उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थिया के नाम उक्त आराजी नंबर राजस्व रिकार्ड में 5/7 हक हिस्सा दर्ज करते है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसी अनुसार आदेश फरमाने की कृपा करें।

9. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर ग्राम बरडा, पटवार हल्का बरडा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 162 में श्री राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति गुरू सा. गादोला के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं जो पैतृक होकर खातेदार राधेश्याम को उनके पिता मांगीलाल की मृत्यु उपरांत विरासत से प्राप्त हुई। खातेदार राधेश्याम के 2 पुत्र एवं 4 पुत्रिया क्रमश : राकेश, चन्दावाई (दोनों वादीगण है) कपिल, गंगाबाई, केसरबाई एवं इन्द्राबाई (विपक्षी क्रमांक 2 से 5 है)। श्री राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति गुरू के नाम आराजी नम्बर 568/194 रकवा 0.68 हैक्टेयर दर्ज होने से श्री राधेश्याम ने इस वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा 0.68 हैक्टेयर क्रेता समीम बानो पत्नि सलीम गोरी को विक्रय कर दिया। किन्तु वादग्रस्त आराजी पैतृक होने एवं विक्रेता के 6 संतानें होने से विक्रेता खातेदार श्री राधेश्याम को उसके पैतृक हक हिस्से अनुसार 1/7 हिस्सा ही विक्रय किया जाना था। वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से राधेश्याम के 6 पुत्र–पुत्रियों का भी वादग्रस्त आराजी में पैतृक रूप से संयुक्त 6/7 हक हिस्सा बनता है। जबकि खातेदार राधेश्याम ने अपनी पैतृक वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय कर दिया। क्रेता समीम बानो पत्नि सलीम गोरी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी क्रय की गई भूमि आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से 5/7 हिस्सा उसके नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि उन्होंने क्रय की गई भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल विक्रेता को अदा नहीं किया हैं। अतः 5/7 हिस्सा अनुसार ही विक्रेता को प्रतिफल अदा करेगी। साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं वादी हैं ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विक्रित आराजी नम्बर 568/194 में से उनका 5/7 हिस्सा क्रेता श्रीमती समीम बानो के नाम दर्ज करने पर सहमति प्रदान की है। साथ ही वादीगण की ओर से भी राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने विक्रित आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.68 हैक्टेयर में वादीगण राकेश, चन्दाबाई पिता राधेश्याम का संयुक्त 2/7 हिस्सा रखते हुए प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 का संयुक्त हिस्सा 5/7 क्रेता समीम बानो के पक्ष में अंकित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 एवं क्रेता समीम बानो पत्नि सलीम गोरी के आपसी राजीनामें अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बाबत संशोधित डिक्री स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 आपासी राजीनामें के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। मौजा बरड़ा पटवार हल्का बरड़ा तहसील, निम्बाहेड़ा कि जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–162 में दर्ज आराजी नम्बर 568/194 रकबा 0.6800 हैक्टेयर श्री राकेश पिता राधेश्याम शर्मा जाति गुरू निवासी गादोला 1/7, चन्दाबाई पिता राधेश्याम पत्नि रमेश शर्मा जाति गुरू निवासी बानसेन 1/7, श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी जाति मुसलमान 5/7 निवासी गादोला तथा आराजी नम्बर 52 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 566/69 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर में वादीगण राकेश पिता राधेश्याम 1/7, चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम 1/7 एवं प्रतिवादीगण राधेश्याम पिता मांगीलाल 1/7, कपिल पिता राधेश्याम 1/7, गंगाबाई पिता राधेश्याम 1/7, केसरबाई पिता राधेश्याम 1/7, इन्द्राबाई पिता राधेश्याम 1/7 का नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

31/7/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

गूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 168 / 2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022 / 400

1. राकेश पिता राधेश्यामजी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. मु. चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नी रमेश जी शर्मा जाति गुरु उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

................वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पिता श्री मांगीलाल जी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. कपिल पिताराधेश्यामजी शर्मा जाति गुरू उम्र वयस्क निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. गंगाबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नि रामेश्वर जी शर्मा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा जागीर तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज.।
4. केसरबाई पुत्री राधेश्याम जी पत्नि बबलु शर्मा उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर राज.।
5. इन्द्राबाई पुत्री राधेश्याम पत्नी विनोद जी शर्मा उम्र वयस्क निवासी सालेडातहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज.।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. निम्बाहेड़ा राज.।
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेड़ा राज.
8. श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी मुसलमान निवासी गोदाला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

................प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955</u>

प्रकरण आज दिनांक वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 एवं 8 [illegible] से अधिवक्ता श्री इन्दरमल भांबी की उपस्थिति में पत्रा[illegible] पर आदेश दिया जाता हैं कि वादीगण [illegible] 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 आपसी रा[illegible]मे के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। मौजा बरडा पटवार हल्का बरडा तहसील, निम्बाहेड़ा कि जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या–162 में दर्ज आराजी नम्बर 568 / 194 रकबा 0.6800 हैक्टेयर श्री राकेश पिता राधेश्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

शर्मा जाति गुरू निवासी गादोला 1 / 7, चन्दाबाई पिता राधेश्याम पत्नि रमेश शर्मा जाति गुरू निवासी बानसेन 1 / 7, श्रीमती समीम बानो पत्नि सलीम गोरी जाति मुसलमान 5 / 7 निवासी गादोला तथा आराजी नम्बर 52 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 566 / 69 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर मे वादीगण राकेश पिता राधेश्याम 1 / 7, चन्दाबाई पुत्री राधेश्याम 1 / 7 एवं प्रतिवादीगण राधेश्याम पिता मांगीलाल 1 / 7, कपिल पिता राधेश्याम 1 / 7, गंगाबाई पिता राधेश्याम 1 / 7, केसरबाई पिता राधेश्याम 1 / 7, इन्द्राबाई पिता राधेश्याम 1 / 7 का नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करावें।

यह आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर लगा कर जारी की गई।

(रमेश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested